schedule XXI-Form No.87

(H)

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR SEARCH & COPY

Serial number of application 3083

Date of application 27-12-19

Name of applicant Ranjit Kumar

Fees Paid 300

Stamp Paper for

Date of deposit

Registering Officer

27/12/19

धि दर्ज करें । बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।

र्ज करें ।

अवभारों को छोड़ उक्त संपति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार

लासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया :

Reeq,

ree

की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालयः– अवर निबंधन कार्यालय, पटना सिटी।

तारीखः --------27-12-2019----------

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

27/12/19

27/12/19

टिप्पणी :– इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है, वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपति के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशन्स) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति (बाहर्यो) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वंय करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वंय तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक, पटना सिटी ।

ज्ञाप संख्या---------4250---------

दिनांक ---------27.12.19---------

आवेदक श्री/श्रीमति — Reshma Dudani----------

का ऋणभार प्रमाण–पत्र द्वारा –To, Ranjit Kumar, Project Manager (Civil), NBCC(India) Ltd., Bahadurpur, Patna-

---

का उनके पत्र संख्या---------- दिनांक ----------के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

प्रभारी निबंधन पदाधिकारी,
पटना सिटी ।

27.12.19

27/12/19

RAKESH KUMAR
Additional Gen[illegible]nager
Unit In[illegible]ge
NBCC (I) Ltd.
Real Estate Division, Patna (Bihar)

Rakesh Kumar
Asst (N.B.C.C) Patna
10/1/20